न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल

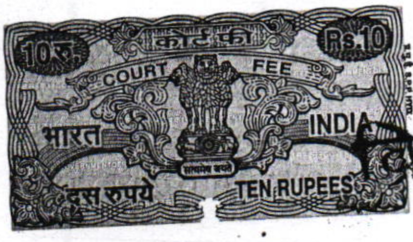

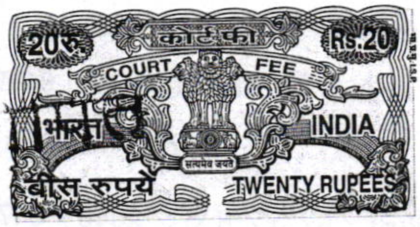

3R/निगरानी/हरदा/भू.रा/2018/0170

पुनरीक्षणकर्ता :- ललित कुमार पिता स्व. जयराम जाति गुर्जर उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी ग्राम सिंधेखेड़ा तहसील टिमरनी जिला हरदा म.प्र.

बनाम

उत्तरवादी :- (1)तहसीलदार रहट्गांव तहसील रहट्गांव जिला हरदा

(2) श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला हरदा म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

उपरोक्त पुनरीक्षण याचिका याचिकाकर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदयं रहट्गांव द्व्ारा प्रकरण कं. 0172 अ-67 वर्ष 16-17 में पारित आदेश दिनांक 23.11.17 से डिकी प्रभावित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी / हरदा / भू.रा. / 2018 / 0170

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–2–2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसीलदार, रहटगांव के आदेशिका दिनांक 23–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय से कोई स्थगन आदेश प्राप्त कर, प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	